...निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप के वर्णन सम्बन्धी प्रावधान अनुच्छेद 329 में है। इसके तहत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन व आवण्टन सम्बन्धित मामलों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। केवल संसद एवं विधानमण्डल सदस्यों के चुनाव को उच्च न्यायालय में प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

**भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त**

| नाम | पदावधि | |
|---|---|---|
| सुकुमार सेन | 21 मार्च, 1950 | 19 दिसम्बर, 1958 |
| के वी के सुन्दरम | 20 दिसम्बर, 1958 | 30 सितम्बर, 1967 |
| एस पी सेन वर्मा | 1 अक्टूबर, 1967 | 20 सितम्बर, 1972 |
| नागेन्द्र सिंह | 1 अक्टूबर, 1972 | 6 फरवरी, 1973 |
| टी स्वामीनाथन | 7 फरवरी, 1973 | 17 जून, 1977 |
| एस एल शकधर | 18 जून, 1977 | 17 जून, 1982 |
| आर के त्रिवेदी | 18 जून, 1982 | 31 दिसम्बर, 1985 |
| आर वी एस पेरिशास्त्री | 1 जनवरी, 1986 | 25 नवम्बर, 1990 |
| श्रीमती वी एस रमादेवी | 26 नवम्बर, 1990 | 11 दिसम्बर, 1990 |
| टी एन शेषन | 12 दिसम्बर, 1990 | 11 नवम्बर, 1996 |
| एम एस गिल | 12 दिसम्बर, 1996 | 13 जून, 2001 |
| जे एम लिंगदोह | 14 जून, 2001 | 7 फरवरी, 2004 |
| टी एस कृष्णमूर्ति | 8 फरवरी, 2004 | 15 मई, 2005 |
| बी बी टण्डन | 16 मई, 2005 | 29 जून, 2006 |
| एन गोपालस्वामी | 30 जून, 2006 | 20 अप्रैल, 2009 |
| नवीन चावला | 21 अप्रैल, 2009 | 29 जुलाई, 2010 |
| एस वाई कुरैशी | 30 जुलाई, 2010 | 10 जून, 2012 |
| वी एस सम्पत | 11 जून, 2012 | अभी तक |

## भारत में चुनाव सम्बन्धी समस्याएँ

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है जिसमें 62 करोड़ से भी अधिक मतदाता है। यद्यपि भारत में निर्वाचन आयोग ने 15 लोकसभा चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन किया इसके बावजूद भारतीय लोकतन्त्र में अनेक चुनाव सम्बन्धी कमियाँ या समस्याएँ बनी है। जो इस प्रकार हैं

### अप्रतिनिधित्यात्मक

भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में एक मुख्य कमी है कि बहुमत मतदान या 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' व्यवस्था में प्राप्त मतों की संख्या तथा जीती गई सीटों की संख्या में कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। अधिकतर चुनावी परिणाम यह दर्शाते हैं कि चुनाव में वोट का प्रतिशत एवं जीती गई सीटों की संख्या में असन्तुलन होता है। ऐसा भी देखा गया है कि बहुमत प्राप्त दल को 50% मत नहीं प्राप्त होते हैं। इस व्यवस्था में 50% से कम मत प्राप्त व्यक्ति ही विजयी घोषित हो जाता है। यदि उम्मीदवारों की संख्या अधिक है तो यह प्रतिशत बहुत कम हो सकता है।

### दलों एवं प्रत्याशियों की बहुलता

वर्तमान में देश में लगभग 700 से ज्यादा राजनीतिक दल है। दलों की बहुतायत न सिर्फ मतदाताओं में भ्रम पैदा करती है बल्कि चुनाव में उम्मीदवारों की अत्यधिक संख्या प्रशासनिक समस्याएं भी उत्पन्न करती है। स्वतन्त्र उम्मीदवारों की अधिक संख्या इस समस्या को और बढ़ा देती है।

ऐसे सिद्धान्तविहीन व्यक्ति आधारित दल एवं स्वतन्त्र उम्मीदवार चुनाव के बाद के परिदृश्य में अवसरवादी गठबन्धन एवं अस्थिर सरकार की समस्या उत्पन्न करते है।

### बढ़ते खर्च एवं धन का प्रभाव

भारत में चुनाव लड़ने वाले तथा इसे सम्पन्न कराने वाले, दोनों के लिए यह यह खर्चीली व्यवस्था है। 13वें आम चुनाव में सरकार को सिर्फ मध्यावधि चुनाव में ₹ 850 करोड़ खर्च करने पड़े। अस्थिर सरकारों के कारण होने वाले बार-बार चुनावों में इस समस्या को और गम्भीर बना दिया।

इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों का चुनावी खर्च लगातार बढ़ रहा है। वैसे तो कानून द्वारा लोकसभा चुनाव में 25 लाख, विधानसभा चुनावों में 10-15 लाख सीमा निर्धारित है, परन्तु कानून प्रभावी न होने के कारण एक उम्मीदवार का खर्च करोड़ पर पहुँच जाता है। यह बढ़ता खर्च अनैतिकता, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। ऐसी स्थिति में ईमानदार व कुशल उम्मीदवार द्वारा चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया है। इसके साथ भारी खर्च करके जब उम्मीदवार को सत्ता प्राप्त होती है तो वह चुनाव में खर्च किए गए धन की उगाही सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, रिश्वत एवं घोटालों से करता है।

### चुनावी मशीनरी व अधिकारियों का दुरुपयोग

सत्ताधारी दल चुनावों में निर्णय अपने पक्ष में करवाने के लिए चुनावी मशीनरी व अधिकारियों का दुरुपयोग करता है। वह अपने कृपापात्र अधिकारियों को नियुक्त कर मतदाता सूची में अवैधानिक हेर-फेर, मतदान केन्द्रों की व्यवस्था में हेर-फेर आदि करवाता है।

### हिंसा एवं बाहुबल

चुनावों में जीत को ही अन्तिम लक्ष्य मानने वाले प्रत्याशी धन शक्ति के साथ-साथ बाहुबल की शक्ति का भी दुरुपयोग करने में नहीं हिचकिचाते। बाहुबल का अर्थ अपराधियों की सहायता लेना, हिंसा एवं बल का प्रयोग करना मतदाताओं को उम्मीदवार विशेष के पक्ष में मत देने के लिए बाध्य करना, मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना। यह घटनाएं चुनावों के साथ सामान्य सी बन गई है।

### राजनीति का अपराधीकरण

चुनाव में बाहुबल की शक्ति के प्रयोग का सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम य... हुआ है कि स्थानीय बाहुबली एवं अपराधियों का, जिनका प्रयोग नेता साधन ... रूप में करते थे, अब वे सीधा राजनीति में भाग लेने लगे है। पूर्व निर्वा... आयुक्त जी वी कृष्णमूर्ति ने वर्ष 1996 के लोकसभा उम्मीदवारों का उदाह... नमूने में बताया कि 13,952 उम्मीदवारों में से 1500 आपराधिक पृष्ठभूमि... है। जनवरी, 2001 को निर्वाचन आयोग की स्वर्ण जयन्ती के अवसर... राष्ट्रपति के आर नारायणन ने भी अपने भाषण में कहा कि संसद व विधान... में अनेक नेता आपराधिक पृष्ठभूमि के है। लोक जनशक्ति पार्टी के... रामविलास पासवान से जब अपराधियों को टिकट देने के बारे में पूछा ग... उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम 'शेर के सामने बकरी' को नहीं उतार सकते...

### चुनावों में जाति एवं धर्म की भूमिका

दत्त आयोग, रघुवीर दयाल आयोग आदि ने स्पष्ट कहा कि ने... प्राप्ति के लिए साम्प्रदायिकता का सहारा लेते है। गुजरात दंगे (2001... स्पष्ट किया कि नेता राजनीति में धर्म का कार्ड लेते है। जाति का ... दौरान प्रयोग तो एक सामान्य घटना है। उपरोक्त समस्याओं ने भारत... सुधारों को आवश्यक बना दिया है।

## भारत में चुनाव सुधार सम्बन्धी प्रयास

भारत में 'स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष' चुनाव कराने और लोकतन्त्र... रखने के लिए एक ओर विभिन्न समितियों का गठन किया गया...

## संगठन एवं नियुक्ति

**अनुच्छेद** 324(2) में उपबन्ध है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा, जितने समय-समय पर राष्ट्रपति नियत करे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार करेगा। पहले निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, परन्तु वर्ष 1993 से निर्वाचन आयोग तीन-सदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त है। तीनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियाँ समान है और निर्णय बहुमत से किए जाते है।

### पदावधि व हटाने की प्रक्रिया

*मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे। परन्तु*

- वह राष्ट्रपति को सम्बोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं।
- मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की रीति से हटाया जा सकता है।
- अन्य चुनाव आयुक्तों व प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश से ही हटाया जा सकता है।

## निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ

चुनाव आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ वृहद् है, आम चुनावों के दौरान समस्त प्रशासन चुनाव आयोग के निर्देशन में कार्य करता है। *निर्वाचन आयोग के कार्य व शक्तियों के तीन क्षेत्र हैं*

- प्रशासनिक, • परामर्शदात्री • अर्द्ध-न्यायिक।

*चुनाव आयोग के कार्य एवं शक्तियों का विस्तृत वर्णन है*

- संसद राज्य विधानमण्डल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन, नियन्त्रण एवं निर्देशन करना।
- मतदाता सूचियाँ तैयार करना।
- विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना।
- राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव-चिह्न प्रदान करना।
- चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन या सीमांकन में परिसीमन आयोग की सहायता करना।
- अर्द्ध-न्यायिक कार्य, जैसे-अनुच्छेद 103 के अन्तर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की आयोग्यताओं के सम्बन्ध में चुनाव आयोग से परामर्श करता है तथा अनुच्छेद 192 के अन्तर्गत राज्यपाल राज्य विधानमण्डलों के सदस्यों की अयोग्यताओं के सम्बन्ध में चुनाव आयोग से परामर्श करता है।
- राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना।
- राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रसार की सुविधाएँ दिलवाना।
- उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले कुछ व्यय की राशि पर्यवेक्षकों के माध्यम से जाँच करना है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 संशोधन 1996 के तहत पर्यवेक्षक सीधे भारत निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट देते हैं।
- मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना।
- राष्ट्रपति को प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए परामर्श देना।
- सरकार को अपने कार्यों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देना।
- चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव देना।
- राष्ट्रपति द्वारा चुनाव अधिसूचना के बाद चुनाव आयोग मतदान की तिथियों की घोषणा करता है। इस घोषणा में नामजदगी, पत्रों की जाँच की तिथि, चुनाव संघर्ष के नाम वापस लेने की तिथि का उल्लेख होता है।
- चुनाव आयोग, हिंसा, बूथ कैप्चरिंग आदि की स्थिति में चुनाव रद्द कर सकता है।

## चुनाव आयोग की भूमिका

निर्वाचन आयोग ने भारत में स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए है। वर्ष 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनावों के दौरान कार्यकारी सरकार को वास्तविक या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से रोका। इसके पश्चात् बाल ठाकरे को साम्प्रदायिक भाषण देने के कारण छः वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर चुनाव के दौरान धर्म, जाति के प्रभाव को रोकने का प्रयास किया। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करने के लिए एक ओर फोटो पहचान-पत्र लागू किए तो दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लागू किया।

निर्वाचन आयोग ने जम्मू-कश्मीर में निष्पक्ष निर्वाचन कराए जिसकी प्रशंसा विदेशी पर्यवेक्षकों ने भी की। इसी कारण प्रमुख निर्वाचन आयुक्त को एशियाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2003 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव आचार संहिता के दौरान अधिकारियों के हस्तान्तरण पर रोक लगाई। यहाँ तक राजस्थान में थानाध्यक्ष के हस्तान्तरण करने पर सरकार को फटकार लगाई। वर्ष वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश व बिहार विधानसभा के चुनावों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने केन्द्रीय पर्यवेक्षकों व केन्द्रीय पुलिस बल का प्रयोग किया, जिसके कारण इन राज्यों में बूथ कैप्चरिंग व धाँधली नहीं हो पाई और जनता ने निडर मतदान किया।

चुनाव आयोग ने निष्पक्ष व क्रियाशील भूमिका केवल भारत में ही नहीं अपितु भूटान, अफगानिस्तान जैसे देशों में भी अदा की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग ने स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाकर भारत में लोकतन्त्र की रक्षा की।

परन्तु निर्वाचन आयोग के पास सबसे बड़ी समस्या है अपनी चुनाव मशीनरी न होना। यदि चुनाव आयोग को अधिक शक्तिशाली बनाया जाए तो भारत विश्व के लिए 'आदर्श लोकतन्त्र' का रूप ले सकता है।

## निर्वाचन सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान

संविधान के भाग-XV में अनुच्छेद 324-329 तक संवैधानिक प्रावधान है। *निर्वाचन सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानों का विस्तार से वर्णन इस प्रकार है*

- अनुच्छेद 324 में 'निर्वाचन आयोग' सम्बन्धी उपबन्ध है।
- अनुच्छेद 325 के अनुसार निर्वाचक नामावली/मतदाता सूची में किसी व्यक्ति को सम्मिलित करने के लिए धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा।
- अनुच्छेद 326 में उपबन्ध है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होंगे। 61वें संशोधन अधिनियम (1988) में वयस्कता की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई।
- अनुच्छेद 327 के अनुसार संसद समय-समय पर, विधि द्वारा, संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमण्डल के सदन के लिए निर्वाचन सम्बन्धी कानून बनाएगी।
- अनुच्छेद 328 यदि संसद राज्य विधानमण्डल के बारे में कानून नहीं बनाती है तो राज्य विधानमण्डल अपने सदन के निर्वाचन सम्बन्धी कानून बना सकती है।

(d) 4 और 1

निम्नलिखित को

केस

केस

D
2
1

नों को सही कालक्रम

केस

10. (d)
20. (c)
30. (d)
40. (c)
50. (a)
60. (d)
70. (a)
80. (a)
90. (d)
100. (b)
110. (c)
120. (b)

# चुनाव प्रणाली और हित
# (Electoral System and Interest G

## चुनाव प्रणाली
## (Electoral System)

किसी भी लोकतान्त्रिक राष्ट्र में निर्वाचन एक अपरिहार्य प्रक्रिया है। चुनाव ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और किसी हद तक उन पर नियन्त्रण भी रखती है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने **इन्दिरा गाँधी बनाम राजनारायण** (1975) वाद में 'स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव' को संविधान के आधारभूत ढाँचे का आवश्यक तत्त्व बताया। भारतीय संविधान के भाग-XV में अनुच्छेद 324-329 तक निर्वाचन सम्बन्धी प्रावधान किए हैं।

**भाग -15 [निर्वाचन]**

| | |
|---|---|
| अनुच्छेद 324 | निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना |
| अनुच्छेद 325 | धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। |
| अनुच्छेद 326 | लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। |
| अनुच्छेद 327 | विधानमण्डलों के लिए निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपबन्ध करने की संसद की शक्ति। |
| अनुच्छेद 328 | किसी राज्य के विधानमण्डल के लिए निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपबन्ध करने की उस विधानमण्डल की शक्ति। |
| अनुच्छेद 329 | निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। |
| अनुच्छेद 329(A) | (प्रधानमन्त्री और अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबन्ध) 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 की धारा 36 द्वारा निरसित |

देश में
एवं उन
करने
तहत
के रूप
324 में
चुनावों
पदों के
निर्देशन
आयोग

## चुनाव आयोग

भारत में स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वायत्त एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324(1) के अनुसार संसद और राज्य विधानमण्डल के निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए, निर्वाचक-नामावली तैयार करने का और निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा।

...निर्यात संघ, इनमें महत्त्वपूर्ण रहे हैं। इन सबके केन्द्र में अमीर और मध्यम वर्गों के कृषकों का असन्तोष है।

### उद्देश्य समूह

उद्देश्य समूहों का मुख्य उद्देश्य सामान्य सामाजिक विषयों; जैसे—पर्यावरण संरक्षण, मानव अधिकार तथा नागरिक स्वतन्त्राओं की रक्षा, मृत्यु-दण्ड की समाप्ति, चुनाव सुधारों का प्रारम्भ, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकना, इत्यादि को आगे बढ़ाना होता है। ऐसे समूह को, जो इस बात पर बल देने के लिए सामूहिक सामाजिक हित को आगे बढ़ाते है, न कि चुने हुए समूहों के हित को, जनहित समूह भी कहते है। ये समूह सुसंगठित भी हो सकते हैं और नहीं भी। उनकी सफलता संगठन से अधिक जनता और जन संचार साधनों के सहयोग पर निर्भर करती है। अपने बड़े बाँधो के निर्माण का विरोध करने वाले, झुग्गियाँ हटाने, बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, दहेज इत्यादि का विरोध करने वाले समूहों के विषय में अवश्य सुना होगा।

यही समूह उद्देश्य समूह है, जो काफी लोकप्रिय हो रहे हैं।

### संस्थागत समूह

संस्थागत समूह ऐसे समूह है जो सरकार के भीतर है और सरकारी मशीनरी के द्वारा दबाव अथवा प्रभाव डालने का प्रयास करते है। अफसरशाही और सेना संस्थागत समूह के स्पष्ट उदाहरण है। उन समूहों के भीतर एक आईएएस, आईपीएस और आईएफएस लॉबी के बारे में सुनते है। इस प्रकार सेना में प्राय: थल सेना, वायु सेना और नौ सेना इत्यादि कुछ विषयों पर प्राथमिकता के लिए दबाव की बातें सुनाई पड़ती हैं। ऐसे समूह अलोकतान्त्रिक शासनों में विशेषत: महत्त्वपूर्ण होते है, जहाँ स्वायत्त समूहों को प्राय: दबा दिया जाता है। लेकिन वे लोकतन्त्र में अभिजनों के बीच प्रतियोगिता के रूप मे सक्रिय रहते है। भारत में भी अपनी गतिविधियो के माध्यम से वे काफी सक्रिय है, यद्यपि उनकी गतिविधियाँ जनता मे दिखाई नही देती। वे अपनी पसन्द के क्षेत्र मे संसाधनों के निर्धारण अथवा अपनी प्राथमिकता भूमिका के क्षेत्र मे नीतियो को प्रभावित करने का प्रयास करते है। वे अप्रत्यक्ष रूप से अपने उद्देश्य का समर्थन करने वाले समूहों की सहायता भी करते है।

### तदर्थ समूह

अन्तत: कुछ ऐसे समूह है, जो किसी उद्देश्य विशेष के लिए किसी समय सरकार पर दबाव डालने के लिए अस्तित्व में आते है। इसलिए वे उद्देश्य पूरा होने तक ही सक्रिय अथवा संगठित रहते हैं। ऐसे समूहों मे एक शहर में रेल सुविधा चाहने वाले, किसी पुस्तक या गतिविधि पर पाबन्दी चाहने वाले, कोई स्कूल, कॉलेज अथवा अस्पताल इत्यादि खुलवाने जैसे समूह सम्मिलित होते है। ऐसे समूह कुछ समय के लिए बहुत सक्रिय हो सकते है। इनमें से कुछ बचे भी रह सकते है और अपनी गतिविधियों का विस्तार उद्देश्य के रूप मे कर सकते है। इस प्रकार भारतीय राजनीति के दबाव समूह महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे है, परन्तु इनकी अधिक सक्रियता के लिए *निम्न सुधार आवश्यक है*

- दबाव समूह में वचनबद्धता और एकता स्थापित की जाए।
- दबाव समूह संवैधानिक साधनों तथा प्रचार, प्रेस और लॉबीइंग का प्रयोग करें।
- सामुदायिक दबाव समूह की सक्रियता को बढ़ाया जाए।
- दबाव समूह नीति-निर्माण व राष्ट्र-निर्माण के लिए कार्य करें।

इन सुधारों के साथ ही भारतीय लोकतन्त्र में दबाव समूह प्रभावशाली भूमिका अदा कर पाएँगे।

## जनमत (Public Opinion)

### जनमत की परिभाषा

मौरिस गिसबर्ग के अनुसार "जब अनेक व्यक्तियों के मन परस्पर क्रिया करते है तो उससे जिस सामाजिक तत्त्व का निर्माण होता है, वह लोकमत होता है"। इस प्रकार गिसबर्ग जनमत को जनता की इच्छा के रूप में परिभाषित करता है। किम्बरले यंग के शब्दों में "जनमत जनसाधारण समय विशेष पर किसी विषय पर जो विचार रखते है वही जनमत है।"

### जनमत-निर्माण/जनमत की अभिव्यक्ति के साधन

*भारत में जनमत-निर्माण के प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं*

- समाचार-पत्र
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
- शिक्षण संस्थाएँ
- विधानमण्डल
- राजनीतिक दल एवं दबाव समूह
- सांस्कृतिक व धार्मिक समुदाय
- मानवीय तत्त्व

जनमत का तात्पर्य सार्वजनिक विषयों पर जनसाधारण का मत है। लावेल ने जनमत के सम्बन्ध में *तीन तत्त्व बताए हैं*

- जनमत जनता का मत होता है।
- जनमत स्थाई विचार होता है।
- सार्वजनिक हित से सम्बन्धित होता है।

### लोकतन्त्र में जनमत का महत्त्व

लोकतन्त्र को जनमत की प्रमुख आधारशिला माना जाता है। लोकतन्त्र में जनमत का महत्त्व *इस प्रकार है*

- जनमत लोकतन्त्र में शासन का पथ-प्रदर्शन करता है।
- जनमत सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाता है।
- वह नागरिकों की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखता है।
- शासन के उत्साह को बढ़ाने का कार्य करता है
- स्वार्थी राजनेताओं व संस्थाओं पर नियन्त्रण करता है।

### जनमत की सीमाएँ

जनमत के निर्माण मे अनेक बाधाएँ होती हैं, भारतीय जनमत के निर्माण मे *निम्नलिखित बाधाएँ हैं*

- शिक्षा का अभाव
- सरकारी नीतियों में जनता की अरुचि
- मीडिया की स्वतन्त्रता का अभाव
- जनता में असमानता
- जनता व सरकार के लक्ष्यों में समानता का अभाव।

अथवा वर्ग के आधार पर न होकर जन्म पर आधारित होती है। इन समूहों को और आगे दो भागों में बाँटा जा सकता है एक वे जो मूलत: सामुदायिक सेवा से सम्बद्ध हैं और दूसरे वे जो राजनीतिक एवं आर्थिक प्रतियोगिता में साम्प्रदायिक अथवा सामाजिक सक्रियता का प्रयोग करते हैं।

**पहले प्रकार** में हम डीएवी शिक्षण संस्थाएँ, रामकृष्ण मिशन, मुख्य खालसा दीवान सिंह सभाएं, मुस्लिम शिक्षण ट्रस्ट, वक्कम मौलवी संस्था, अल-अमीन शिक्षण संस्थान, एंग्लो इण्डियन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जैन सेवा संघ और ऐसी अनेक संस्थाओं का उल्लेख कर सकते हैं, जो अपने-अपने समुदाय के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए संलग्न है इस उद्देश्य के लिए वह सरकार के आर्थिक, तकनीकी और अन्य प्रकार की सहायता की अपेक्षा करते हैं और इसके लिए दूसरे समुदायों के प्रति किसी पूर्वाग्रह तथा जातीय या साम्प्रदायिक विवाद प्रोत्साहित किए बिना सरकार का दबाव डालते हैं।

**दूसरे प्रकार** के पहचान समूह वे हैं जो विशेष स्तर, श्रेष्ठता अथवा दूसरों की तुलना में अपने समुदाय के लिए प्राथमिकता का दावा करने में संलग्न हैं। मुसलमानों में जमायत-ए-इस्लामी, हिन्दुओं में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिन्दू परिषद् और सिखों में अखिल भारतीय सिख छात्र परिसंघ ऐसे ही समूह हैं। ये समूह न केवल अपने समुदायों के हित के लिए कार्यरत हैं अपितु अपनी मूल्य पद्धति के अनुसार राजनीतिक प्रक्रिया के स्थानान्तरण के लिए भी कार्य करते हैं। भाषा के विकास को अग्रसर करने वाली कई भाषायी संस्थाएँ भी हैं।

## सामुदायिक अथवा व्यावसायिक समूह

सामुदायिक अथवा व्यावसायिक समूह वे समूह हैं, जो संयुक्त व्यावसायिक हितों के लिए एकत्रित हुए व्यक्तियों द्वारा गठित किए गए हैं। उन्हें कभी-कभी संरक्षक और कार्यात्मक समूह भी कहा जाता है। मजदूर संघ, व्यापार संस्थाएँ और मजदूर संस्थाएँ, व्यावसायिक संगठन आदि इस प्रकार के समूहों के प्रमुख उदाहरण हैं। उनकी महत्त्वपूर्ण विशेषता इस तथ्य में है कि वे समाज के एक वर्ग; जैसे—मजदूर, मालिक, उपभोक्ता आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं।

यह भी कहा जाता है कि ये समूह आधुनिक आर्थिक और व्यावसायिक हितों पर आधारित हैं। इनमें सबसे बड़ी और महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ उद्योग और व्यापार समूह, मजदूर संघ और कृषक तथा खेती हर मजदूरों की संस्थाएँ हैं।

## व्यापार समूह

नीतियों को प्रभावित करने तथा हितों की रक्षा करने की दृष्टि से किसी भी समाज में व्यापार और उद्योग सबसे बड़ा और सक्रिय वर्ग है। भारत में उन्होंने स्वयं को औपनिवेशिक काल में ही संगठन करना प्रारम्भ कर दिया था। उस समय जब वे स्वयं को कांग्रेसी नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आन्दोलन की विरोध नीति से अलग-अलग रहने के पक्षधर थे, तब भी उन्होंने कांग्रेस की रचनात्मक गतिविधियों और स्वतन्त्रता के कार्यक्रमों में कई प्रकार से सहयोग दिया। स्वतन्त्र भारत में व्यापार और उद्योगों को विकास की नीतियों और योजनाओं के सन्दर्भ में कार्य करना था।

इन नीतियों के अन्तर्गत उनके पास विकास की सम्भावनाएँ भी थी और उस समय अपनाई गई मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत लाइसेन्स और नियन्त्रण के माध्यम से प्रतिबन्धों की आशंकाएँ भी थीं। इसलिए उन्होंने सरकार पर अपने हित के लिए दबाव डालने हेतु संगठित होने की अति-आवश्यकता अनुभव की। परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार की व्यापार और वाणिज्यिक संस्थाएँ उभरीं।

## मजदूर संघ

मजदूर एक महत्त्वपूर्ण संगठित वर्ग के रूप में लगभग पूरे विश्व में उभरे हैं। इस सन्दर्भ में मार्क्सवादी और समाजवादी दलों के उदय ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद तीव्र औद्योगिकरण की नीति, बहुत बड़े सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना और विकास, लाखों लोगों को नौकरी पर रखना, सरकार का समाजवादी रूप और साम्यवादी दलों का चुनावों में भाग लेने का निर्णय, इन सबसे मिलकर मजदूर संघ आन्दोलन के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध कराई है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने मजदूर संघ, महासंघ; जैसे—इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आईएनटीयूसी), ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीसी), हिन्द मजदूर सभा (एचएमएस), सेन्टर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स (सीआईटीयू) इत्यादि प्रयोजित करने प्रारम्भ कर दिए हैं।

भारत में लगभग विगत पाँच दशकों से मजदूर संघ आन्दोलन ने भारतीय सामाजिक प्रणाली में निश्चित रूप से अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। फलस्वरूप नीति निर्णय निर्धारण स्तर पर कार्यरत श्रमिक वर्ग दबाव डालने में सक्षम रहा है और इसकी शक्ति को सभी राजनीतिक दल और सरकार खूब पहचानती है, यद्यपि आर्थिक विवशता और बाह्य नेतृत्व के दायरे में, ये अपनी माँगों के लिए अत्यधिक मुखर और तरीकों में उग्र भी हो सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में उद्योगों की सघनता के कारण ये राजनीतिक पार्टियों के लिए महत्त्वपूर्ण मत-शक्ति उपलब्ध करा सकते हैं।

इस कारण, संगठित मजदूर वर्ग, अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने में कुछ सफलताएँ प्राप्त करने में सक्षम रहा है। मजदूर संघों ने अपनी गतिविधियों द्वारा मजदूरों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत करने में भी काफी सहायता की है। अब भी समाज में मजदूर संघ सर्वश्रेष्ठ सुसंगठित समूह है। भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया मजदूरों के समक्ष एक गम्भीर चुनौती प्रस्तुत कर रही है। इसलिए नई आर्थिक व्यवस्था में मजदूर संघों को अपनी भूमिका के लिए स्वयं का पुनर्नवीकरण करना होगा।

## किसान और कृषक संगठन

यह सुविदित है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में रहती है और भारत की अर्थव्यवस्था मूलत: कृषि अर्थव्यवस्था ही है। स्वतन्त्रता के समय सरकार के लिए एक ओर कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक था तो दूसरी ओर भूमि-सुधार लागू करना। जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने में लेकर हरित-क्रान्ति, सीमित भूमि-सुधार और चुनावी राजनीति में ग्रामीण लोगों को सक्रिय करने जैसी नीतियों और कार्यक्रमों ने ग्रामीण लोगों में जागरूकता और चेतना पैदा की तथा भिन्न-भिन्न हित वाले नए समूह बने। तत्पश्चात् ये हितों के रक्षार्थ एवं संघनन हेतु संगठित समूहों एवं आन्दोलनों के रूप में उभरे। कई पर्यवेक्षक इन समूहों को प्रचलित शब्दावली में 'किसान समूह' या कृषि आन्दोलन भी कहते हैं। वास्तविकता यह है कि किसानों के संयुक्त हित नहीं होते। वे भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए भिन्न होते हैं। वृहद् दृष्टि से हम इनको दो समूहों—खेतिहर समूह तथा कृषक समूह में बाँट सकते हैं।

## खेतिहर संस्थाएँ

पिछले कई वर्षों से खेतिहर आन्दोलन समाचारों में रहे हैं। 1970 के दशक के अन्तिम वर्षों से कृषक स्वयं को संस्थाओं से संगठित करते रहे हैं और कृषि उत्पादों के लिए उचित कीमतें, बिजली दरों में कटौती, कृषि निवेश के लिए सस्ती दरों पर ऋण तथा खाद पर सब्सिडी, इत्यादि पर ध्यान केन्द्रित करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त करते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भारतीय विकास यूनियन, महाराष्ट्र में शेतकारी संगठन, कर्नाटक में कर्नाटक

## भारतीय राजनीति में दबाव समूह

दबाव समूह अनेक व्यक्तियों का संगठन है, जिनके हित समान होते हैं। दबाव समूह अपने सदस्यों के हितों की रक्षा व वृद्धि के लिए राजनीति को प्रभावित करते हैं।

दबाव समूह सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। अतः हर प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह पाए जाते हैं, परन्तु लोकतान्त्रिक प्रणाली में दबाव समूहों की विशेष भूमिका होती है। उल्लेखनीय है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में दबाव समूह की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

### राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में अन्तर

राजनीतिक दल व दबाव समूह में अन्तर निम्नलिखित हैं

- राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, जबकि दबाव समूह नहीं।
- राजनीतिक दल औपचारिक संगठन है, जबकि दबाव समूह औपचारिक/अनौपचारिक दोनों प्रकार के संगठन हैं।
- राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक देशों में पाए जाते हैं, जबकि दबाव समूह सभी प्रकार की शासन प्रणाली में पाए जाते हैं।
- एक व्यक्ति एक ही दल का सदस्य होता है, जबकि एक व्यक्ति एक समय में अनेक दबाव समूहों का सदस्य होता है।
- राजनीतिक दलों में विचारधारा का तत्त्व पया जाता है, जबकि दबाव समूह में विचारधारा का तत्त्व नहीं पाया जाता है।
- राजनीतिक दल सरकार का निर्माण करते हैं, जबकि दबाव समूह स्वयं सरकार का निर्माण नहीं करते हैं।
- राजनीतिक दल संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं जबकि दबाव समूह संवैधानिक के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर असंवैधानिक साधनों का भी प्रयोग करते हैं।

## भारतीय राजनीति में दबाव समूह की प्रकृति

**प्रो. माथरन वीनर** ने अपनी पुस्तक 'पॉलिटिक्स ऑफ स्कारसिटी' में तथा **स्टेनली कोचनीक** ने अपनी पुस्तक 'बिजनेस एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया' में भारतीय राजनीति में दबाव समूहों की भूमिका का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है।

इन अध्ययनों के आधार पर दबाव समूह की प्रकृति इस प्रकार स्पष्ट होती है

- भारत के सभी दबाव समूहों का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, वे राजनीतिक दलों के सहायक अंग बनकर रह गए हैं और उन्हीं के निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं।
- पारिवारिक और जातीय दबाव समूह भारत में अधिक क्रियाशील हैं।
- दबाव समूह का विकास स्वयं राजनीतिक दलों द्वारा होता है।
- दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा सरकार को प्रभावित करते हैं।
- दबाव गुट भारत में आन्दोलनकारी नीति दबाव के लिए अधिक अपनाते हैं।
- दबाव समूहों में आपसी एकता का अभाव है।
- दबाव समूहों में राजनीतिक व सैद्धान्तिक वचनबद्धता का अभाव है।

## दबाव समूह की प्रमुख तकनीकें या कार्यविधियाँ

भारत के दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक कार्यविधियों का प्रयोग करते हैं। यथा

### मनोरंजन और प्रलोभन

विधायकों और उच्च सरकारी अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए दबाव समूह (मुख्यतः व्यावसायिक दबाव समूह) दावतों, भेंट, रिश्वत आदि का सहारा लेते हैं। इनके अतिरिक्त विदेश-यात्रा का प्रलोभन, सेवानिवृत्ति के बाद निजी संस्थाओं में उच्च पद, रिश्तेदारों को अच्छी नौकरियों आदि का प्रलोभन दिया जाता है।

### व्यापक प्रचार

जनमत और शासन को प्रभावित करने के लिए पत्र-पत्रिकाएँ, भाषण, सभाएँ, सम्मेलन आदि की सहायता ली जाती है।

### निर्वाचन के समय सहायता

दबाव समूहों के अपने विशेष प्रकार के हित और दर्शन होते हैं, चुनाव के समय ये समूह ऐसे प्रत्याशियों का चयन करवाते हैं, जो उनके हितों की रक्षा का आश्वासन दें। ऐसे प्रत्याशियों या उनके दल को समर्थन के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी दी जाती है।

### लॉबीइंग

लॉबीइंग का अर्थ है—विधायकों से मिलकर अपने हितों में कानून का निर्माण करवाना। भारत में भी अब लॉबीइंग का प्रयोग दबाव समूह करने लगे हैं।

### आन्दोलन और बल प्रयोग

जब प्रार्थना और अनुनय के साधन असफल हो जाते हैं, भ्रष्ट साधनों द्वा सफलता नहीं मिलती और न्यायालय भी सहायक नहीं होते, तो दबाव स अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हड़ताल, बन्द, धरना, प्रदर्शन, भूख-हड़ता घेराव और कभी-कभी आत्म-दाह तक का भी आश्रय लेते हैं।

### न्यायपालिका की शरण

कभी-कभी दबाव गुट ऐसे कानूनों और प्रशासनिक कार्यों को रद्द क के लिए जो उनके हितों के विरुद्ध होते हैं, न्यायालय की शरण लेते हैं। अतिरिक्त, ज्ञापन देना, शिष्टमण्डल भेजना, समारोह आयोजित कर शामिल हैं। वस्तुतः भारत में साम्प्रदायिक व जातीय दबाव समूह अधिक है, जो आन्दोलन और बल प्रयोग का अधिक सहारा लेते हैं। विभिन्न द्वारा आरक्षण की माँग के लिए चलाए गए आन्दोलन इसका प्रत्यक्ष उदाह

## भारत में दबाव समूह के प्रकार

### सामाजिक अथवा पहचान आधारित दबाव समूह

औपनिवेशिक काल में पाश्चात्य मूल्यों और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का प्रतिकार करने के लिए, नए व्यवसायों तथा सरकारी नौकरियों में भाग की माँग करने तथा संख्या आधारित राजनीति में सामाजिक तथा हितों की रक्षा के लिए धर्म, जाति, भाषा, जातीयता और क्षेत्रीयता, इ सामुदायिक हितों पर आधारित कई समूह सामने आए। कुछ विषयों प्रशासन ने स्वयं ऐसे समूहों के गठन को राष्ट्रीय आन्दोलन की कु प्रतिकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। स्वतन्त्रता उपरान्त ल व्यवस्था और सीमित संसाधनों के लिए प्रतियोगिता के सन्दर्भ में ऐसे महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

सामाजिक अथवा पहचान आधारित समूहों की मुख्य विशेषता सामाजिक ताने-बाने से बुने जाते हैं। इस अर्थ में उनकी सदस्यता